उत्तर प्रदेश टिड्डी विनाश अधिनियम, 1951[1]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20,1951 ई0)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 29 अगस्त 1951 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद

ने दिनांक 10 सितम्बर 1951 ई0 को बैठक में स्वीकृत किया)

भारत संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 25 सितम्बर, 1951 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 28 सितम्बर, 1951 ई0 को प्रकाशित हुआ)

टिड्डियों के विनाश की व्यवस्था के लिए

अधिनियम

क्योंकि टिड्डियों के विनाश के लिए व्यवस्थ करना आवश्यक है;

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ

1– (1) इस अधिनिमय का नाम उत्तर प्रदेश टिड्डी विनाश अधिनियम, 1951 ई0 होगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 9 जुलाई 1951 ई0 को प्रचलित हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें

2– इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर––

(1) ''डिस्ट्रिस्ट मजिस्ट्रेट'' के अन्तर्गत वह अधिकारी भी होगा जिसे डिस्ट्रिस्ट मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन डिस्ट्रिस्ट मजिस्ट्रेट के कार्य करने के लिए अधिकृत करें,

(2) '' इन्सपेक्टर'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे डिस्ट्रिस्ट मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र में इन्सपेक्टर का कार्य करने के लिए नियुक्त करें,

(3) '' अधिवासी'' (occupier) का तात्पर्य ऐसी व्यक्ति से है जिसे समय विशेष पर किसी भूमि या भूगृहादि (premises) पर अधिवास (occupation) का अधिकार हो या उक्त अधिवासी के अधिकृत कार्यकर्ता (authorised agent) से है, या किसी ऐसी व्यक्ति से है जो उक्त भूमि या भूगृहादि पर वास्तव में अधिवास करता हो और उसके अन्तर्गत ऐसा स्थानिक अधिकारिक (local authority) भी है जिसे इस प्रकार अधिवास का अधिकार हो या जो उक्त प्रकार का अधिवास वास्तव में रखता हो।

विनाश के उपाय

3––जब कभी डिस्ट्रिस्ट मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि उसके जिले में किसी क्षेत्र पर टिड्डियों ने आक्रमण किया है या उस पर टिड्डियों के आक्रमण की आशंका है, तो डिस्ट्रिस्ट मजिस्ट्रेट–

(क) जिले में किसी क्षेत्र के प्रत्येक अधिवासी को यह आदेश दे सकता है कि वह उन उपायों का प्रयोग करें जिन्हें डिस्ट्रिस्ट मजिस्ट्रेट टिड्डियों का निर्मूल और नष्ट करने के लिए और उसके प्रसार या पुनरागमन को रोकने के लिए उचित समझे;

(ख) किसी पुरूष व्यक्ति को जो 18 वर्ष से कम आयु का न हो और उक्त क्षेत्र में रहता हो, यह आज्ञा दे सकता है कि वह टिड्डियों के विनाश के लिए खण्ड (क) में उल्लिखित उपायों के प्रयोग के निमित्त सब प्रकार की सम्भव सहायता प्रदान करें;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति को उक्त प्रकार की सहायता के लिए आज्ञा नहीं दी जायेगी जो वृद्ध होने या किसी अन्य शारीरिक अक्षमता के कारण सहायता करने में असमर्थ हो या जो उक्त स्थान से जहॉ पर उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो, 5 मील से अधिक दूरी पर रहता हो;

(ग)ऐसे क्षेत्र को और ऐसी अवधि को निर्दिष्ट कर सकता है जिसके भीतर खण्ड (क) में उल्लिखित उपाय प्रयोग में लाये जायेगें।

---

1 उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 20 अगस्त 1951 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिए।

किसी भूमि या भूगृहादि पर इन्सपेक्टर के प्रवेश का अधिकार

4–इस बात का निश्चय करने के लिए कि धारा 3 के खण्ड (क) में उल्लिखित उपाय प्रयोग में लाए जा रहे है या नहीं, कोई इन्सपेक्टर सूचना देकर अपने अधिक्षेत्र के भीतर, धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार निर्दिष्ट क्षेत्र में किसी भूमि या भूगृहादि पर प्रवेश कर सकता है।

उपायों को प्रयोग में लाने का अधिकार

5–धारा 4 के अधीन भूमि या भूगृहादि की निरीक्षा के बाद यदि इन्सेक्टर को यह पता चले कि धारा 3 में निर्दिष्ट उपाय प्रयोग में नहीं लाए गए है, तो डिस्ट्रिस्ट मजिस्ट्रेट की विशेष या साधारण आज्ञा को बाधित न करते हुए इन्सेक्टर धारा 3 में उल्लिखित उपायों को अधिवासी के व्यय से प्रयोग में ला सकता है।

व्यय के विरूद्ध अपील

6––(1) कोई अधिवासी ऐसे व्यय की उससे पहली मॉग के दिनांक से तीस दिन के भीतर अधिक्षेत्र प्राप्त (having jurisdiction) परगना अधिकरी (Sub Divisional Officer) के यहॉ निम्नलिखित आधार पर अपील कर सकता है––

(क) यह कि उक्त व्यय के अन्तर्गत ऐसे मदों का भी व्यय है जो मजदूरी, माल या साधनों के प्रयोग के व्यय (cost of labour, material or use of implements) से भिन्न है, या

(ख) मजदूरी या माल या साधनों के प्रयोग के व्यय अनुचित रूप से अधिक है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील के प्राप्त होने पर परगना अधिकारी, अधिवासी को अपने सामने सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे यह उचित समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन दी गई आज्ञा अन्तिम और निश्चायक (final and conclusive) होगी और उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आक्षेप नहीं किया जा सकेगा।

आदेशों को न मानना या सहायता न करना

7–(1) इन्सपेक्टर की रिपोर्ट पर यदि डिस्ट्रिस्ट मजिस्ट्रेट को सन्तोष हो कि–

(क)अधिवासी ने धारा 3 के अधीन दिए हुए आदेश का पालन नहीं किया; अथवा

(ख) किसी व्यक्ति ने धारा 3 के अधीन अपेक्षित सहायता नहीं की–तो वह उक्त अधिवासी या व्यक्ति को यह आज्ञा दे सकता है कि वह ऐसा अर्थ–दंड (penalty) दे जो पन्द्रह रूपये से अधिक न होगा।

(2) उप धारा (1) के अधीन अर्थ दंड की आज्ञा अन्तिम और निश्चायक होगी और उसके विरूद्ध कोई आक्षेप किसी न्यायालय में न हो सकेगा।

(3) उप धारा (1) के अधीन अर्थ दंड की वसूली राजस्व के बकाया (arrears of land revenue) के रूप में हो सकेगी।

सूचना का प्रकार

8–– धारा 3 के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक अधिवासी को या दूसरे ऐसे व्यक्तियों को जिनकी सहायता धारा 3 के खण्ड (ख) के अधीन अपेक्षित हो, विज्ञापित करना आवश्यक न होगा। क्षेत्र, ग्राम या स्थान विशेष में ढोल बजाकर या किसी अन्य प्रकार प्रचलित रीति से की गई घोषणा, उक्त क्षेत्र, ग्राम या स्थान विशेष में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों को पर्याप्त सूचना समझी जायेगी जिसके ऊपर उक्त घोषणा का प्रभाव पड़ता हो।

वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियों में रोक

9–राज्य सरकार या किसी अधिकारी के विरूद्ध, किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या जिसे उक्त प्रकार किये जाने का उद्देश्य हो या किसी सम्पत्ति की ऐसी क्षति के निमित्त जो इस अधिनिमय के निदेशों को प्रयोग में लाने के लिए सद्भावना से किये गये किसी कार्य के कारण हुई हो, कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही (suit, Prosecution or other legal proceedings) नहीं की जा सकती है।

10—उत्तर प्रदेश टिड्डी विनाश अध्यादेश, 1951 एतद्द्वारा निरस्त (repeal) किया जाता है। इसके सम्बन्ध में यू0पी0 जनरल क्लाजेज एक्ट, 1904 की धारा 6 और 24 के निदेश इस प्रकार प्रवत्त होंगे मानों वह ऐसा अधिनियम (Act) या वो किसी यू0पी0 एक्ट द्वारा निरस्त किया गया था। **निरसन यू0पी0 एक्ट,1, 1904**

11—इस अधिनियम के निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। **नियम**